अध्याय– 23
समाज कल्याण
Social Welfare

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिस हेतु राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुये विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **23.1** 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या में 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है।

23.2 सामाजिक प्रगति सूचकांक 2016 (Social Progress Index 2016):- Institute for Competitiveness द्वारा भारत के सभी राज्यों का सामाजिक प्रगति सूचकांक Global Social Progress Index 2016 तैयार किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण देश में चौथे स्थान पर रहा है। सामाजिक प्रगति (Social Progress) को 3 मुख्य पहलुओं:– मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं (Basic Human Needs), खुशहाली के आधार (Foundations of Well-being) तथा अवसर (Opportunity) के आधार पर आंकलित किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार केरल प्रथम, हिमाचल प्रदेश द्वितीय तथा तमिलनाडु तृतीय स्थान के बाद उत्तराखण्ड 64.23 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा। जबकि राष्ट्रीय औसत 54.90 अंक था। इस सूचकांक में बिहार अन्तिम स्थान पर आया।

समाज कल्याण की प्रमुख योजनाएं:– राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं आदि के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

23.3 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं

23.3.1 वृद्धावस्था पेंशन योजना:– इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बी0पी0एल0 परिवारों के वृद्धों अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले निराश्रित वृद्धों को ₹ 1,000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष आयु के व्यक्तियों को ₹ 800 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500 प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 1,000 प्रतिमाह देय पेंशन के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 35,719.54 लाख की धनराशि व्यय कर 4,47,890 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

23.3.2 विधवा पेंशन योजना:– इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की बी0पी0एल0 श्रेणी की निराश्रित विधवाओं अथवा ₹ 4000 से कम मासिक आय तक की विधवाओं को ₹ 1000 मासिक भरण पोषण अनुदान दिया जाता है। इसके

अतिरिक्त इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता/पेंशन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 13374.73 लाख की धनराशि व्यय कर 1,64,079 विधवाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.3.3 किसान पेंशन योजनाः– इसके अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 2 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों तथा राज्य के अन्तर्गत ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एवं स्वयं कृषि कार्य कर रहे हैं को ₹ 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 2188.93 लाख की धनराशि व्यय कर 25,253 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

23.4 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं

23.4.1 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 2.84 लाख की धनराशि व्यय कर 372 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.4.2 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्तिः– योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 475.31 लाख की धनराशि व्यय कर 4656 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.4.3 अनुसूचित जाति मैरिट उच्चीकृत छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा के साथ–साथ रेमेडियल कोचिंग के लिए मैरिट उच्चीकृत योजना लागू की गयी है, जो कि वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में संचालित है।

23.5 अनुसूचित जनजाति कल्याण

23.5.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्तिः– अनुसूचित जनजातियों में शैक्षिक स्तर को बढ़ाए जाने हेतु सरकार द्वारा कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 17,000 विद्यार्थियों के लिए ₹ 350 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

23.5.2 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत 1400 लाभार्थियों के लिए ₹ 500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के परिवार जिनकी वार्षिक आय रूपये 32,000 अथवा इससे कम होगी (अनुसूचित जनजाति के बी.पी. एल. परिवार भी योजना के लिए पात्र होंगे) को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत

495 लाभार्थियों के लिए ₹ 300 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

23.5.3 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः— योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2019–20 में ₹ 75.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2019–20 में ₹ 50 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।

23.5.4 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः— वर्तमान में विभाग द्वारा 11 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 06 आर्वतक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वर्ष 2019–20 में ₹ 165.00 लाख बजट प्रावधान है। माह दिसम्बर, 2019 तक ₹ 28.32 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2019–20 में आर्वतक अनुदान पर संचालित योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 900 लाख बजट प्रावधान से 29 विद्यालयों का लक्ष्य निर्धारित है।

23.5.5 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः— विभाग द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र/छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है। वर्ष 2019–20 में ₹ 2835.81 लाख बजट प्राविधान किया गया तथा माह दिसम्बर 2019 तक 2129 विद्यार्थियों को इस वर्ष के दौरान तक ₹ 1560.15 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.6 राजकीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालनः— विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्रों की पंजीकृत क्षमता 696 है। वर्ष 2019–20 में ₹ 368.01 लाख बजट प्रावधान से 696 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक 513 छात्रों को ₹ 185.71 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

विभाग द्वारा वर्तमान में 04 बालक राजकीय जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 200 है। वर्ष 2019–20 में ₹ 199.51 लाख बजट प्रावधान से 200 विद्यार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक 152 छात्रों को ₹ 107.83 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः— अनुसूचित जाति हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थयों के लिए ₹ 368.01 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 309 लाभार्थियों को दिसम्बर 2019 तक ₹ 164.16 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का

संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत 413 प्रशिक्षणार्थयों के लिए ₹ 560.08 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष 368 लाभार्थियों को दिसम्बर 2019 तक ₹ 234.26 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी जनपद देहरादूनः– वित्तीय वर्ष 2010–11 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, जनपद देहरादून का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2019–20 में ₹ 252.88 लाख बजट प्रावधान से 420 विद्यार्थियों का लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक 392 विद्यार्थियों को ₹ 166.36 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.5.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहूल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 2200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 1198.99 लाख की धनराशि से 110 योजनाये स्वीकृत की गई है।

योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 400 लाख के बजट प्राविधान से 100 योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है एवं माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 92.66 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.5.10 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में ₹ 250.00 लाख के बजट प्रावधान से 15 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 99.72 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.5.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः– के अन्तर्गत 04 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में ₹ 150 लाख के बजट प्रावधान से 04 योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 45.39 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

23.5.12 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 200.00 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में ₹ 3750.00 लाख की धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।

23.5.13 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायताः– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन एवं

एकलव्य आदर्श आवसीय विद्यालय कालसी देहरादून में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यो पर ₹ 518.18 लाख की धनराशि माह दिसम्बर 2019 तक व्यय की जा चुकी है।

23.5.14 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजनाः— योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु 100 प्रतिशत केन्द्र सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2019–20 में ₹ 1257.68 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 750.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

23.6 अल्पसंख्यक कल्याण

23.6.1 अल्पसंख्यक छात्रों के कक्षा 1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना (शत–प्रतिशत राज्य पोषित):— वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5728 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक ऑनलाईन भरे जा चुके हैं। उक्त योजना का पूर्णतया ऑनलाईन संचालन करते हुए छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किया जायेगा।

23.6.2 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः— उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की आई.ए.एस./पी.सी.एस. की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम ₹ 75,000 की राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 04 अभ्यर्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

23.6.3 अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः— उक्त योजना अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है। ऐसी बालिकाओं, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है, को अधिकतम ₹ 25,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 573 छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

23.6.4 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):— वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 3646 छात्र/छात्राओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 5771 छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरे जा चुके है।

23.6.5 अल्पसंख्यक छात्रों के लिये स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):— वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 438 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 469 छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन किया गया है।

23.6.6 अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित):— वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 21,874 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 35994 छात्र/छात्राओं

द्वारा आवेदन किया गया है। छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर से गतिमान है।

23.7 दिव्यांग कल्याण

23.7.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाः— इस योजना में प्राईमरी कक्षा से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 0.34 लाख की धनराशि व्यय कर 47 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.7.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः— दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 5.11 लाख की धनराशि व्यय कर 187 दिव्यागों को लाभान्वित किया गया है।

23.7.3 दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजनाः— दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बी0पी0एल0 चयनित परिवार के दिव्यांग अथवा ₹ 4,000 मासिक आय वाले दिव्यांगजनों को ₹ 1,000 मासिक की दर से भरण–पोषण अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 5889.08 लाख की धनराशि व्यय कर 75,912 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की गयी है।

23.7.4 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः— दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 0.75 लाख की धनराशि व्यय कर 3 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है।

23.8 महिला कल्याण

23.8.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः— परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अर्न्तगत ऐसी महिलायें आती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा पति द्वारा छोड़े जाने या लापता होने की सीमा 1 वर्ष से अधिक हो, आवेदिता द्वारा पति के लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो तथा आवेदिता बी0पी0एल0 परिवार की सदस्या हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र मे वार्षिक आय ₹ 15976/— तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹ 21206/— से अधिक नहीं हो। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 381.61 लाख की धनराशि व्यय कर 4402 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.8.2 विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदानः— इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी

वर्ग की विधवाओं को पुत्री की शादी हेतु ₹ 50000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 14.00 लाख की धनराशि व्यय कर 28 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.3 निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्री की शादी हेतु अनुदानः– इस योजना के अन्तर्गत निर्धन अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए ₹ 50000 की धनराशि अनुदान स्वरुप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 86.50 लाख की धनराशि व्यय कर 176 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.8.4 अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदानः– अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों को शादी हेतु ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2019–20 में इस योजनान्तर्गत 1000 पुत्रियों के लिए ₹ 500 लाख का बजट प्राविधान किया गया।

23.9 समाज कल्याण द्वारा संचालित अन्य योजनाएं–

23.9.1 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 100.29 लाख की धनराशि व्यय कर 134 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर/पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 139.86 लाख की धनराशि व्यय कर 1211 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना ऑनलाईन संचालित की जा रही है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह–दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 16.29 लाख की धनराशि व्यय कर 1086 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

23.9.3 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2950 अनुमानित लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु

₹ 590.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह दिसम्बर 2019 तक योजना में ₹ 381.61 लाख की धनराशि व्यय कर 1841 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.4 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः— वित्तीय वर्ष 2019—20 में माह दिसम्बर 2018 तक योजना में ₹ 177.40 लाख की धनराशि व्यय कर 153 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.9.5 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः— दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2019—20 में माह—दिसम्बर, 2019 तक योजना में ₹ 108.70 लाख की धनराशि जनपदों को व्यय करने हेतु आवंटित की गई है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवीन योजनाऐंः—

23.9.6 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) प्रदेश में यह योजना वित्तीय वर्ष 2018—19 में अस्तित्व में आयी, इसका मुख्य उद्देश्य उन गांवों का समेकित विकास करना, जिनकी आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग अनुसूचित जाति जनसंख्या से हो। योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के 500 से अधिक जनसंख्या वाले गॉव, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु वर्ष 2018—19 में 121 गांव तथा वर्ष 2019—20 में 70 गांव कुल 191 गांवों का चिन्हीकरण करते हुये उनके समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन गांवों में ऐसी सभी आधारभूत सुविधायें मुहैया करायी जायेंगी, जिससे समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और असमानतायें कम से कम रहें, ऐसी सभी अवसंरचना प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन जीने के लिये आवश्यक हो।

23.9.7 सुगम्य भारत अभियान :— यह योजना मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रारम्भ की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में इस योजनान्तर्गत कुल 26 शासकीय भवन/कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत 04 शासकीय भवनों हेतु ₹ 50.06 लाख जारी किया जा चुका है, जिसका उपभोग कर लिया गया है और 05 अन्य शासकीय भवनों के लिए ₹ 115.56 लाख की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को जारी कर दी गयी है।

23.9.8 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR)

योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है। वर्तमान में प्रदेश के दो जनपदों कमशः जनपद नैनीताल एवं देहरादून को योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया है। जिस हेतु ₹ 220.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है।

23.10 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

23.10.1 अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 150 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक योजनान्तर्गत ₹ 16.64 लाख अनुदान से 25 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

23.10.2 मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेंस फाउंडेशन योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2019–20 में विगत वर्षों की 36 लाभार्थियो को ₹ 32.83 लाख की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

23.10.3 मुख्यमंत्री हुनर योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत 255 लाभार्थियो को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिस पर ₹ 31.46 लाख प्रशिक्षण पर व्यय किया गया।

23.11 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान–ए–कलियर, रूड़कीः– मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2018 से बिना महरम के भी 45 वर्ष से अधिक आयु की 05 महिला आवेदकों के ग्रुप को हज यात्रा पर जाने की अनुमति मिली है, जिसके अनुसार उत्तराखण्ड से 04 महिलाओं ने एक कवर में आवेदन किया है।

1. वर्ष 2020 हज यात्रा हेतु दिनांक 18 जनवरी, 2020 को कुर्रा अन्दाजी (लॉटरी) की जायेगी। इससे पहले प्रदेशवार कुर्रा अन्दाजी की जाती थी जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के हज आवेदकों का चयन नहीं हो पाता था। इस वर्ष जिलेवार कुर्रा अन्दाजी होने से प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के हज आवेदकों का भी चयन हुआ है।

2. पूर्व के वर्षो में हज यात्रा हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से आवेदन प्राप्त होते थे। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष हज यात्रा का आवेदन 100 प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है। जिसमें हज यात्री अपनी सुविधानुसार घर बैठें ही ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

23.12 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादूनः– उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राज्य सरकार द्वारा वक्फ रूल्स 2018 अधिसूचित किये गये जिससे कि वक्फ बोर्ड के कार्यों को सम्पादन करने में सहायता मिलेगी।

23.13 उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्ः–

1. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् में नवीन वैकल्पिक व्यवस्थानुसार संस्कृत, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विषयों का समावेश किया गया है।

2. उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियमावली, 2019 का प्रख्यापन किया गया है।

23.14 उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

23.14.1 अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायताः— इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य 1463 के सापेक्ष माह नवम्बर, 2019 तक 745 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया है। मद में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जाती है—

1. विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उप योजना):— इस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर, 2019 तक कुल ₹ 61.40 लाख की धनराशि व्यय कर 617 लाभार्थियों को वित्त पोषित किया गया है।

2. स्वतः रोजगार योजनाः— वित्तीय वर्ष 2019—20 के माह नवम्बर, 2019 तक 617 लाभार्थियों को ₹ 61.40 लाख अनुदान, ₹ 13.60 लाख मार्जिन मनी ऋण एवं ₹ 278.62 लाख बैंक ऋण वितरित कर वित्त पोषित किया गया हैं।

3. अवस्थापना विकासः— वित्तीय वर्ष 2019—20 में जनपदों को ₹ 19.06 लाख की धनराशि से 23 दुकानों का निर्माण करने का लक्ष्य प्रेषित किया गया है। दुकानों का निर्माण करने का कार्य गतिमान है।

23.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें:— इस योजना के अन्तर्गत 57 लाभार्थियों को ₹ 5.70 लाख अनुदान, ₹ 6.55 लाख मार्जिन मनी ऋण एवं ₹ 19.15 लाख टर्मलोन वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

23.16 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 12.81 लाख के सापेक्ष ₹ 6.50 लाख अनुदान एवं ₹ 15.80 लाख बैंक ऋण की धनराशि वितरित कर 65 लाभार्थी वित्त पोषित किये गये हैं एवं ₹ 6.31 धनराशि का व्यय करते हुए 175 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अध्याय– 24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 3 के अनुरुप सभी वर्गों को स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर करने तथा युवाओं की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु खेल विभाग कार्यरत है। खेल विभाग के अन्तर्गत दिसम्बर 2019 तक संचालित विभिन्न प्रतियोगिताओं में 21633 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गत वर्ष 2018–19 में कुल 28263 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आगामी वर्ष के लिए 45000 खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक 1.60 लाख बालक व 1.60 लाख बालिका खिलाड़ियों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है। जनपदों में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुए स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	25
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल	04
4	इंडोर क्रीड़ाहॉल	17

24.2 जिला सैक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2019 तक 21585 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 183.95 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक ₹ 127.6 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः–माह दिसम्बर, 2019 तक लगभग 31989 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 299.44 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक ₹ 197.91 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 219.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2019 तक ₹ 134.14 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है:–

तालिका 24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	10
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	12
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	15
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	23
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	25
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	16
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	20
8.	रुद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	21
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	–
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	18
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	09
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	20
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	24
कुल योग				310	238

24.3 राज्य सैक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः– इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 210.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 52.90 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 48 खिलाड़ियों एवं 19 प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है। कलैण्डर वर्ष 2018 में उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले खिलाड़ियों से इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2019 नियत थी।

24.3.2 खेल किट योजनाः–राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 70.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः–इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 3.00 लाख की धनराशि व्यय कर प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ठ खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः–इस योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार तथा प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना हेतु ₹ 60.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः–उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किये जाते है, जिसमें वर्ष 2019–20 में 948 प्रशिक्षओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष

2019–20 हेतु ₹ 909.91 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 643.51 की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः–देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 344 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹ 620.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 338.70 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः–इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः–पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों आदि के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 70.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 4.00 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वर्तमान में 30 प्रशिक्षुओं का पंचम बेसिक स्की कोर्स का आयोजन माह जनवरी/फरवरी में मुनस्यारी (पिथौरागढ़) में किया जाना प्रस्तावित है।

24.3.9 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजनाः–वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 20 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल तथा 17 इंडोर क्रीड़ाहॉल स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 30000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ₹ 1250.00 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 269.00 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.10 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः–राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। वर्तमान तक ₹ 5757.34 लाख की धनराशि से 08 निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना हेतु ₹ 2000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 1540.74 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः– राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकास किया गया है।

24.4.2 खेलो इण्डिया योजनाः– इस योजना हेतु वर्तमान में परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल तथा हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष की उपलब्धियाँ

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन कर विधिवत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसका कार्यालय **स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, देहरादून** में स्थापित किया गया है।

2. राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को सफलतापूर्वक कराये जाने के दृष्टिगत चिन्हित स्थानों पर उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गई है।

3. राज्य के क्रिकेट संघ को राज्य गठन के 18 वर्ष पश्चात बी.सी.सी.आई. की मान्यता मिली है।

4. **पी0पी0पी0** मोड के अन्तर्गत देहरादून में स्थापित राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का संचालन किया जा रहा है।

5. नवीन तकनीकी के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु 12 उप क्रीड़ाधिकारी एवं 21 सहायक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गयी।

6. राज्य के विशिष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं लाईफटाईम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया।

भावी योजनाएं

1. उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2021 में होगा। अक्टूबर, 2020 तक जिसकी तैयारियां पूर्ण की जायेंगी।

2. राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी। ये प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल, रूद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेंगी।

3. देहरादून व हल्द्वानी में एक–एक खेल गांव बनाया जाना प्रस्तावित है।

4. राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षकों को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
Youth Welfare & PRD

24.4 जिला सेक्टर योजनायें :–

24.4.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें विजेता खिलाडियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 110.90 लाख की धनराशि का बजट स्वीकृत है, जिसमें से माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 32.39 लाख की धनराशि व्यय हुई है। वर्तमान में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

24.4.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल ₹ 33.34 लाख की धनराशि स्वीकृति हुई है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 266 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठनों, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान तक ₹ 16.35 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 1766.94 लाख की धनराशि का प्राविधान कराया गया जिससे उन्हें ड्यूटी का भुगतान कर ₹ 1218.12 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड– जनपदों में सम्बद्धीकृत युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹ 4.70 लाख के सापेक्ष 96 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान कर वर्तमान तक ₹ 1.42 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.5 युवा केन्द्र की स्थापना/रख–रखाव– युवा कल्याण प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में ₹ 38.05 लाख अवमुक्त के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 25.89 लाख का उपयोग किया गया है।

24.4.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत ₹ 21.98 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 7.71 लाख का व्यय किया गया है।

24.4.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत ₹ 63.14 लाख के सापेक्ष 205 व्यवसायिक प्रशिक्षण संचालन पर माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 33.81 लाख का व्यय किया गया है।

24.4.8 छोटे खेल मैदानों का निर्माण– इस योजना में युवाओं हेतु खेल गतिविधियों के संचालन हेतु खेल मैदान के निर्माण एवं रखरखाव हेतु कुल ₹ 19.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है। इससे जनपदों में खेल मैदानों के रखरखाव /निर्माण कार्य का प्रस्ताव है।

24.4.9 युवा महोत्सव– इस योजना के अंतर्गत जनपद में कुल ₹ 51.59 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है। इससे विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 21.12 लाख का उपयोग किया है।

25.5 राज्य / केन्द्र पोषित योजनायें:–

25.5.1 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण– इस योजना में वित्तीय वर्ष हेतु कुल ₹ 100.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष में युवाओं को रिटेल सेल्स पर्सन व सिलाई, कढ़ाई–कताई बुनाई में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही गतिमान है।

25.5.2 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– इस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त युवाओं को खेलों में प्रतिभाग तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करवाया जाता है। वर्ष 2019–20 में खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतु ₹ 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। वर्तमान में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में अब तक लगभग 131663 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। राज्य स्तर की प्रतियोगितायें वर्तमान में चल रही हैं। जिनमें कुल ₹ 440.18 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वर्ष 2018–19 के खेल महाकुम्भ में 2.10 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अंडर–14, 17 बालक, अंडर–19 बालक – बालिका वर्ग की फुटबाल प्रतियोगिता एवं अंडर–17 बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सी0एस0आर0 के अंतर्गत 17 हीरो स्कूटर एवं 130 साइकिल एवं 01 बेस्ट फुटबाल खिलाड़ी को मारुति–800 पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गयी।

25.5.3 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण–उत्तराखड राज्य में खेल प्रतिभाओं के विकास एवं ग्रामीण युवाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख व मिनी स्टेडियम का निर्माण हेतु ₹ 700.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार 10 मिनी स्टेडियम (01 देहरादून के डोईवाला, 02 अल्मोड़ा के मानिला व छानाभेंट, 03 बागेश्वर के किडई, मालूखेत, दोफाड़, 01 पिथौरागढ़ के ग्राम पौंण, 01 नैनीताल के कालाढुंगी, 01 पौड़ी के खिर्सू, 01 टिहरी के कीर्तिनगर) के निर्माण हेतु ₹ 335.604 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी। जनपद उधमसिंहनगर के सकैनिया में 01 मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु ₹ 164.396 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

25.5.4 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव एवं प्रशिक्षण–राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी (टिहरी) में विविध साहसिक गतिविधियों, व्हाईट वॉटर रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, फस्टएड आदि का प्रशिक्षण प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। जिससे युवाओं को साहसिक खेलों में रोजगार प्राप्त होता है। योजना में कुल ₹ 9.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

25.5.5 राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण–इस योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल ₹ 30.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसे

कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

25.5.6 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण– राज्य में 526 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को 15 दिवसीय अर्द्धसैन्य पुन:प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना में कुल ₹ 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है।

25.5.7 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 30.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

25.5.8 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 50.00 लाख व ₹ 50.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जाति योजना में जनपद रुद्रप्रयाग का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

25.5.9 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को आबंटित 59100 स्वयंसेवियों द्वारा 9 प्रकोष्ठों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 80 शिविरों का आयोजन तथा 2 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है।

अध्याय–25
सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान
Information Technology and Science

राज्य के सतत् विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान तकनीकी का अहम योगदान है। ये तकनीकी विधायें विकास कार्यों के Enabler (संबल) के रूप में कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के साथ–साथ स्थानीय स्तर की तकनीकी को विकसित एवं बढ़ावा देने में कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई.टी. आधारभूत स्थापना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

25.1 सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतियां/दिशानिर्देश– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गत वर्ष राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी थी।

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गत वर्ष प्रथम Right of Way 2018 नीति जारी की गयी। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

25.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security)– राज्य के आई0टी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा साथ ही राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "(Cyber Crisis Management Plan (CCMP)", साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सी.आई.आई. "(Critical Information Infrastructure (CII)" नीति, तैयार की जा रही है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Sectoral Cert एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में Cert-UTK समिति गठित की गयी है। उक्त प्लान एवं नीतियों को शीघ्र ही कैबिनेट में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ई–वेस्ट नीति तथा ड्रोन नीति तैयार की जा रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही कैबिनेट से स्वीकृति उपरान्त जारी किया जा सकेगा।

25.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, ई–डिस्ट्रिक्ट, एस.एस.डी.जी.(State e-Governance Service Delivery Gateway) एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

25.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)– आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Authority) द्वारा सूचना

प्रौद्योगिकी भवन, आई0टी0 पार्क, देहरादून में गत वर्ष प्रथम चरण में अत्याधुनिक तकनीकी– HCI (Hyper Convergent Infrastructure) युक्त 'स्टेट डाटा सेंटर' की स्थापना की गयी। द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेंटर का विस्तारीकरण कर 400 टेराबाईट अतिरिक्त स्पेस का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर लगभग 14 विभागों के एप्लीकेशन्स लाईव हैं तथा 20 विभागों के एप्लीकेशन्स लाईव किये जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी.एम. डैश बोर्ड, सी.एस.आर. पोर्टल होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के एप्लीकेशन्स एवं सर्वर डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप तथा डिजास्टर रिकवरी हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

25.3.2 ई–जिला (E-District)– ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः राजस्व, पंचायती राज, शहरी विकास, रोजगार एवं समाज कल्याण विभागों से सम्बन्धित 32 सेवायें प्रदान की जा रही है। ई–डिस्ट्रिक्ट 2.0 के क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी. (National Informatics Centre) के साथ एम.ओ.यू. (Memorandum of Understanding) दिनांक 06 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अन्तर्गत चयनित विभिन्न विभागों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 217 सेवाओं तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त सेवायें राज्य में 132 ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों तथा 5935 कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

वर्तमान में ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निम्न सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

Revenue Department (9 Services)		
	1	Domicile Certificate
	2	Character Certificate (Contractor)
	3	Character Certificate (General)
	4	Solvency Certificate
	5	Freedom Fighter Certificate
	6	Hill Area Certificate
	7	Uttarjivi Certificate
	8	Caste Certificate
	9	Income Certificate
Employment Department (3 Services)		
	10	Employment Registration
	11	COT in Employment Registration
	12	Renewal in Employment Registration
Panchayati Raj Department (10 Services)		
(a)	**Services of Panchayati Raj**	
	13	Add new Family
	14	Copy of Pariwar Register
	15	Separation of family
	16	Editing of family
(b)	**Birth certificate(Rural)**	
	17	Birth Registration /Certificate (Rural) Within one month
	18	Birth Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
	19	Birth Registration /Certificate (Rural) After one years
(c)	**Death certificate (Rural)**	
	20	Death Registration /Certificate (Rural) Within one month
	21	Death Registration /Certificate (Rural) After one years
	22	Death Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
Urban Development (4 Services)		
(a)	**Birth certificate (Urban)**	
	23	Birth Registration /Certificate (Urban) After one years
	24	Birth Registration /Certificate (Urban) within one years
(b)	**Death certificate (Urban)**	
	25	Death Registration /Certificate (Urban) within one years
	26	Death Registration /Certificate (Urban) After one years
Social Welfare Department (6 Services)		
(a)	27	Old Age Pension (Urban)
	28	Widow Pension (Urban)
	29	Disability pension. (Urban)
(b)	30	Old Age Pension (Rural)
	31	Widow Pension (Rural)
	32	Disability pension. (Rural)

25.3.3 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)– वर्तमान में 8350 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 6264 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 5473 सी.एस.सी. ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.एस.सी. के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है। सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. State G2C Services:

A. Revenue Department:

- Income Certificate
- Caste Certificate
- Domicile Certificate
- Character Certificate
- Solvency Certificate
- Uttarjivi Certificate
- Freedom Fighter Dependant Certificate
- Hill Area Certificate

B. Medical Health & Family Welfare:

- Death Certificate
- Birth Certificate

C. Social Welfare Department:

- Widow Pension Certificate
- Handicapped Pension Certificate
- Old Age Pension Certificate

D. Employment Department:

- Employment Registration
- Change of Trade
- Renewal of Employment

E. Panchayati Raj Department:

- Pariwar Register Copy
- Pariwar Register Entry
- Pariwar Register Amendment

F. Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL):

- Collection of electricity Bill

G. Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):

- Collection of water Bill

H. State Transport

- Alteration of Motor Vehicle
- Change of Address in RC
- Duplicate FC
- Fitness Inspection/Certificate
- Fresh Permit
- Hypothecation Addition
- Hypothecation Termination
- Issue of Duplicate RC
- Issue of NOC
- MV Tax
- RC Particulars Against Fee
- Renewal of Registration
- Transfer of Ownership

I. Treasury Department:

- Collection of all 384 kind of Different Department Challan

2. Central G2C Services :

- FSSAI Registration Service
- Jeevan Pramaan Certificate
- Soil Health Card
- Public Grievances
- Swachh Bharat
- National Pension System
- Passport
- UTIITSL - PAN Card Service
- BBPS-Utility Bills

3. B2C Services :

- LED Kit and Raw Material Order

- PVC Card Order
- Videocon d2h : Recharge and Set Top box
- Income Tax Services
- GST Returns
- Digital Sign Certificate
- Order Devices from CSC
- CBSE NEET Registration
- Kisan eStore
- Mobile Recharge
- Mobile Bill Payments
- DTH Recharge
- DataCard Recharge
- e-Store

4. Banking :

- Bank Mitr: SBI, PNB, BOB, BOI, Nainital Bank & HDFC
- DIGI Pay
- Digital Financial Inclusion

5. Education Related Services:

- CSC NIELIT Centre
- Tally Certification Program
- Basic Computer Course (BCC)
- NIOS Courses
- NIELIT Courses
- Sarkari Pariksha (Govt. Job Exam preparation)
- Dr. C V Raman University
- Tally Kaushal Praman Patra
- Competitive Exam Prep- IIT/ PMT/ Banking (Embibe)
- English Learning Courses
- Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan(PMGDISHA)

6. Health Services:

- CSC Telemedicine
- Health Homeo
- Jan Aushadhi
- ePashu Chikitsha
- Diagnostic Service
- Stree Swabhiman

7. Insurance Services:

- RAP Registration
- Life Insurance Premium Payment
- General Insurance
- Life Insurance

8. Recruitment Services:

- Indian Navy
- UKPSC
- UKSSSC

9. Skill Development Services

- CAD Registration
- Person With Disability (PwD) scheme.
- Self-Paid Course
- Cyber Wellness Course

10. Training Courses:

- Learn English: Certificate from British Council
- Cricket Strokes (Learn Cricket Online)
- Animation Course
- Online English Speaking Course

11. Travel Services:

- Bus India - Bus Ticket Booking
- IRCTC
- CSC Travel (Air)
- Red Bus

12. PMJAY (Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojna):

- Generation of Golden Card

13. PM-SYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan):

- Registration of unorganized workers

14. PM-KMY (Pradhan Mantri Kisan Maandhan) :

- Registration of Farmers.

15. National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons:

- Registration of small Traders.

16. PM Kisan Samman Nidhi:

- Registration of Farmers

17. Economic Censes :

- Censes Data collection

25.3.4 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)—

स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 133 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoPs) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय तक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। स्वान को जनपद स्तर तक नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन0के0एन0) से एकीकृत किया गया है, जिससे 01 जी.बी.पी.एस. तक बैंडविड्थ उपलब्ध हो रही है, तथा विकासखण्ड/तहसील स्तर तक 10/35 एम.बी. पी.एस. बैडविड्थ प्रदान की जा रही है। नेटवर्क के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु प्रत्येक PoP पर नेटवर्क इंजीनियर्स तैनात हैं।

स्वान उपकरणों के प्रथम चरण का अपग्रेडेशन कार्य राज्य मुख्यालय तथा पांच जनपदों देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चम्पावत में पूर्ण कर लिया गया है, एवं द्वितीय चरण में शेष जनपदों के अपग्रेडेशन हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। स्वान संचालन केन्द्र (Network Operation Center) सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में स्थानान्तरित किया गया है तथा सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक ऑप्टिकल फाईबर बिछाया गया है। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य के लगभग 13 विभागों के 1475 कार्यालय संयोजित किये गये हैं एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर विकासखण्ड–तहसील स्तर तक अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत 5.06 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 3.36 लाख ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया जिसके सापेक्ष 2.65 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 2.02 लाख को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

25.4 राष्ट्रीय आर्थिक गणना (National Economic Census)— 7वीं आर्थिक गणना के अन्तर्गत गैर–फार्म कृषि एवं गैर–कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन या वितरण से जुड़े घरेलू उद्यमों सहित सभी प्रतिष्ठानों की गणना की जा रही है। इसके अन्तर्गत रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की सूचना, वित्तीय स्रोत, स्वामित्व का प्रकार इत्यादि की सूचना एकत्रित की जा रही है। इन सूचनाओं का उपयोग सूक्ष्म स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना के लिए एवं सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का आंकलन करने के लिए किया जाता है।

सातवीं राष्ट्रीय आर्थिक गणना, लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद मई 2019 में आरम्भ की गयी है।

इस तरह के सर्वेक्षण के आंकड़ों के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिए देश में प्रथम बार आई0टी0 आधारित डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है।

7वीं आर्थिक गणना हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत स्पेशल परपज व्हिकल्स–कॉमन सर्विस सेंटर ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

इस परियोजना के अन्तर्गत एक Dynamic Business Register तैयार किया जायेगा जो सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों हेतु सेक्टर विशिष्ट कार्यक्रमों और विकास आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध होगा। उत्तराखण्ड में सी0एस0सी0 द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार/प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण की अद्यावधिक स्थिति को तालिका–1 में दर्शाया गया है–

तालिका 25.1

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवश्यक SL-1 की संख्या	आवश्यक गणकों की संख्या
1	2	4	5
1	अल्मोड़ा	232	798
2	बागेश्वर	121	188
3	चमोली	186	561
4	चम्पावत	108	379
5	देहरादून	382	906
6	हरिद्वार	591	2256
7	नैनीताल	395	1023
8	पौड़ी गढ़वाल	296	667
9	पिथौरागढ़	157	344
10	रुद्रप्रयाग	101	290
11	टिहरी गढ़वाल	190	422
12	उधम सिंह नगर	684	2113
13	उत्तरकाशी	168	408
योग		3611	10355

स्रोतः आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड।

25.5 नेशनल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन0आई0आई0)– नेशनल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन0आई0आई0) के पॉयलट क्रियान्वयन हेतु देश के 7 जनपदों में उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद के 6 विकासखण्ड/तहसील तथा 220 ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायत के 660 हॉरिजॉन्टल कार्यालयों (स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी आदि) को जोड़े जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 158 ग्राम पंचायतों

एवं सम्बन्धित 306 हॉरिजॉन्टल कार्यालयों को स्वान नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। जनपद हरिद्वार के 45 ग्राम पंचायतों को वीडियो कान्फ्रेसिंग की सुविधा भी प्रदान की जा चुकी है।

25.6 डिजीलॉकर (Digi Locker)– डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, सत्यापनकर्ताओं और नागरिकों को एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

राज्य सरकार की ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से सम्बन्धित 15.73 लाख प्रमाणपत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं। राज्य में कुल 1.05 लाख डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं।

25.7 स्मार्ट गांव– आई0टी0डी0ए0 द्वारा गत वर्ष चमोली जनपद के दूरस्थ ग्राम घेस एवं हिमनी में कनेक्टिविटी प्रदान कर स्मार्ट विलेज बनाने की पहल की गयी है।

स्मार्ट विलेज 'घेस–हिमनी' में विभिन्न सेवायें नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं यथा ई–मेडिशन, ई–पशु, स्मार्ट क्लास, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी विभिन्न सेवायें प्रदान की जा रही है।

25.8 सी0एम0 डैशबोर्ड– उत्कर्ष (CM Dashboard)– मुख्यमंत्री डैशबोर्ड 'उत्कर्ष' स्टेट डाटा सेंटर से संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 33 विभागों के 266 के0पी0आई0 (Key Performance Indicator), 134 प्राथमिकता कार्यक्रम (Priority Program) एवं 59 राज्य प्राथमिकता कार्यक्रम (State Priority Program) की समीक्षा सी0एम0 डैशबोर्ड पर मुख्य सचिव/सचिव एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाती है।

25.9 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905'(CM Helpline '1905')– माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 23 फरवरी 2019 को सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान में सी.एम. हैल्प लाईन का क्रियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी भवन से किया जा रहा है। सी.एम. हैल्प लाईन के अन्तर्गत दर्ज शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को ऑनलाईन प्रकिया से प्रेषित किया जाता है, जिसे विभागों में गठित चार स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निस्तारित कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाना होता है, साथ ही निस्तारण उपरान्त पुनः सम्बन्धित शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि हेतु फीडबैक लिया जाता है। वर्तमान तक इसके अन्तर्गत लगभग 40 हजार शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिन्हें सम्बन्धित विभागों को निस्तारण हेतु हस्तान्तरित किया गया एवं इसमें से 26 प्रतिशत शिकायतें क्षेत्राधिकार में न होने के कारण फोर्स–क्लोज की गयी एवं 50 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया, शेष 24 प्रतिशत शिकायतें विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही हेतु लम्बित हैं।

सी0एस0आर0 पोर्टल 'सहयोग' (Sahyog-CSR Portal)– माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना एवं पहल पर आई0टी0डी0ए0 द्वारा कॉरपोरेट रिस्पोनसिबिलिटी पोर्टल 'सहयोग' निर्मित किया गया है। यह उत्तराखण्ड राज्य का एक डिजिटल पटल है, जो नागरिकों, कॉरपोरेट्स, एन0जी0ओ0 एवं समाज के अन्य हितधारकों/ प्रतिभागियों को समाज के विकास के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास हेतु प्रोत्साहित करता है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राजकीय फ्लेगशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दूरदर्शिता एवं पारदर्शिता लाये जाने हेतु एक इकोसिस्टम बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

25.10 वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना– गत वर्ष प्रथम चरण में राज्य में विभिन्न स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना किये जाने जाने हेतु प्रक्रिया आरम्भ की गयी थी, जिसके अन्तर्गत कुल 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना की गयी है। सचिवालय में समस्त सचिव कार्यालय स्तर तक, जनपद मुख्यालयों– जिलाधिकारी कार्यालय/कैम्प कार्यालय, विकासखण्ड एवं तहसील तक समस्त 133 स्वान केन्द्रों, पुलिस विभाग के क्षेत्रीय 21 कार्यालयों– पुलिस मुख्यालय, इंटेलीजेंसी मुख्यालय तथा समस्त एस.एस.पी. कार्यालय, परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हरिद्वार जनपद के 45 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है।

परियोजना के द्वितीय चरण में विधानसभा, निदेशालयों, अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालयों तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग का विस्तारीकरण किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

25.11 ई–कैबिनेट (E-Cabinet)– राज्य के समस्त विभागों से सम्बन्धित पत्रावलियों को मंत्रीमण्डल के सम्मुख 'पटल' पर स्वीकृति हेतु डिजिटल माध्यम से उच्च सुरक्षित परिवेश में प्रस्तुत करने की प्रकिया को डिजिटाईज्ड बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 'ई–कैबिनेट' एप्लीकेशन की 24 घण्टे उपलब्धता एवं उच्च बैंडविड्थ हेतु स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया जा रहा है। इस हेतु सचिवालय में सभी विभागों के 240 अनुभाग अधिकारियों, 124 निजी सचिव, 59 अनुसचिव एवं उप सचिव तथा 25 संयुक्त एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आई0टी0डी0ए0 में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

25.12 ई–ऑफिस (E-Office)– सचिवालय की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 'E-Office' का चयन किया गया है। इस हेतु 50 प्रतिशत कर्मियों का मास्टर डाटा तैयार किया जा चुका है, 80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु गवर्नमेंट ई–मेल आई0डी0 निर्मित की जा चुकी है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) का अपग्रेडेशन किया जा रहा है तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति गतिमान है।

ई–ऑफिस के संचालन हेतु सचिवालय कर्मियों को प्रशिक्षण आई0टी0डी0ए0 के प्रशिक्षण कक्ष में प्रदान किया जा रहा है।

25.13 'स्किल डेवलपमेंट' केन्द्र (Skill Development Centre)– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर परियोजना के अन्तर्गत राज्य में दो 'स्किल डेवलपमेंट' केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित है, जिसमें से एक केन्द्र गढ़वाल मण्डल के ऋषिकेश तथा दूसरा कुमांऊ मण्डल के पिथौरागढ़ में स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में अंग्रेजी के बेसिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं अन्य विदेशी भाषाओं– जापानी, जर्मन आदि का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। यह केन्द्र पूर्व से संचालित 'कम्प्यूटर एडेड लर्निंग सेंटर (CALC) में स्थापित किये जायेंगे। आई0आई0टी0 रुड़की से विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर CALC केन्द्रों में नये कोर्स सम्मिलित करने तथा पुराने कोर्स को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ।

25.14 स्टार्टअप हब (StartUp Hub)– उत्तराखण्ड में स्टार्टअप हब बनाये जाने हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा एस0टी0पी0आई0 (Software Technology Park of India) के साथ 12 अक्टूबर 2019 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। प्रस्तावित स्टार्टअप हब हेतु 25000 वर्ग फिट क्षेत्र का प्रावधान है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्कुबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किया जायेगा। इनमें से एक उत्कृष्ट केन्द्र, ड्रोन तकनीकी हेतु स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

25.15 'ड्रोन' एवं 'साईबर सिक्योरिटी' प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र– गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO), भारत सरकार के सहयोग से 'ड्रोन' प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र तथा एन0सी0आई0आई0पी0सी0 (National Critical Information Infrastructure Protection Centre), भारत सरकार के सहयोग से साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

राज्य में 'ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर' के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में 'ड्रोन' के उपयोग एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुसंधान हेतु 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल' की स्थापना की जा चुकी है। विभिन्न राजकीय विभागों के कर्मियों, केन्द्रीय विभागों के कर्मियों एवं राजकीय पोलिटेक्निक विद्यार्थियों लगभग 150 से अधिक प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन लैब तैयार कर ड्रोन निर्माण का कार्य आरम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ड्रोन प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

25.16 एयरोस्टेट (बैलून) परियोजना (Aerostat Balloon Scheme)– आई0टी0डी0ए0 द्वारा भारत सरकार के समक्ष पी.डी.एफ. के अन्तर्गत एयरोस्टेट (बैलून) के परिकल्पना की प्रमाणिकता (Proof of Concept) गत वर्ष सिद्ध की गयी । 'बैलून' के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया जा चुका है।

25.17 ई–गेटपास (E-Gatepass)– आई0टी0डी0ए0 द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक

महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass-uk.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है । इस सिस्टम के माध्यम से 40 हजार से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं।

ई–गेटपास सिस्टम का विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अन्य विभागों में भी क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

25.18 वाई–फाई जोन की स्थापना (Wi-Fi Zone)– राजभवन में वाई–फाई जोन की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की गयी है, इसके अतिरिक्त सचिवालय परिसर में सिक्योर्ड वाई–फाई जोन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में विधानसभा तथा विकासखण्ड एवं तहसील स्तर तक स्थापित समस्त स्वान केन्द्रों में सिक्योर्ड वाई–फाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

विज्ञान (Science)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान पैदा करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही है:–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- यूसर्क (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

25.19 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यो को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनो के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

25.19.1 डेटाबेस क्रिएशन एवं नॉलेज प्रोडक्ट जेनरेशन

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- उत्तराखण्ड टूरिज्म मैप का अपग्रेडेशन किया गया।
- लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा वांछित जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रों के रोड़ मैप तैयार किये गये।
- जनपद ऊधम सिंह नगर का जी0 आई0 एस0 (Geographic Information System) मानचित्र तैयार किया गया।
- पौड़ी क्षेत्र का न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैप (सीता टूरिस्ट सर्किट मैप) तैयार किया गया।
- पौड़ी–खिर्सू क्षेत्र का टूरिस्ट सर्किट मैप तैयार किया गया।

25.19.2 लैण्ड यूज एण्ड रूरल/अर्बन प्लानिंग

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- वर्ष 2015–16 के 3 सीजन (रबी, जायद, खरीफ) सैटेलाइट डेटा (रिसोर्ससेट–2 लिस–3) के उपयोग से 1:50,000 स्केल पर सृजित राज्य के लैण्ड यूज/लैण्ड कवर जियो–डेटाबेस के आधार पर लैण्ड यूज/लैण्ड कवर एटलस तैयार की गई।
- वर्ष 2015–16 के सैटेलाइट डेटा से सृजित राज्य के लैण्ड यूज/लैण्ड कवर के मानचित्र का उपयोग राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों व अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किये जाने हेतु लार्ज साइज मानचित्र तैयार किये गये।
- हरिद्वार जिले के आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं के मानचित्रीकरण हेतु जी.पी.एस. आधारित विस्तृत फील्ड सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सैटेलाइट डेटा तथा फील्ड सर्वे के एकत्रित आंकड़ों के एकीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर जियोस्पेशियल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- सैटेलाइट डेटा के उपयोग तथा फील्ड सर्वेक्षण के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर हरिद्वार कुम्भ मेला क्षेत्र का बेस मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लैण्ड यूज/लैण्ड कवर, रोड़ नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम व अधिवास मानचित्र तैयार किये जा रहे हैं।
- कुम्भ मेला, हरिद्वार 2021 को दृष्टिगत रखते हुए कुम्भ मेला क्षेत्र, हरिद्वार का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व नवीनतम सूचनाओं के आधार पर जियोस्पेशियल डेटाबेस व मानचित्र तैयार किया जा रहा है।

25.19.3 वाटर रिसोर्स मैनेजमेन्ट

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- 'वाटर एण्ड स्नो कवर स्टडीज ऑफ उत्तराखण्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग' तैयार की गई है।
- यमुना बेसिन के गरियागाड, धवलगाड़,

सुयेन्दागाड़ तथा धारकोट, रिंडोल, सिलोली, डांग, बुडोखी माइक्रो वाटरशेड में जल स्रोतों का सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

- सिंचाई विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) में ग्लेशियर व ग्लेशियर लेक विषय पर यूसैक द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।
- उत्तराखण्ड राज्य के यमुना बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों के अध्ययन हेतु सैटेलाइट डेटा के 6 सीन्स का प्रोसेसिंग कार्य पूरा कर एन0डी0एस0आई0 (Normalized-Difference Snow Index) प्रोडेक्टस सृजन कार्य किया जा रहा है।
- चमोली जनपद के ऊखीमठ विकासखण्ड में फील्ड सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

25.19.4 वानिकी–पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली व टिहरी जनपदों में वन घनत्व, बायोमास, इकोसिस्टम सर्विसेज, औषधीय पादपों संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण कर जी0आई0एस0 डेटाबेस सृजित किया गया तथा उक्त सूचनाओं पर आधारित एक पुस्तक 'जियोस्पेशियल टैक्नीक्स फॉर फॉरेस्ट इकोलॉजी एण्ड क्लाइमेट चेंज सैक्टर इन उत्तराखण्ड' तैयार की गई है।
- माह मार्च, अप्रैल व जून 2019 के नासा फर्म्स के डेटा के उपयोग से मासिक वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया गया तथा उनका वितरण ग्राफ व टेबल के जरिए भी दर्शाया गया है।
- जंगल के उचित प्रबंधन के लिए वन प्रकार की सूची, कार्बन स्टॉक, एनटीएफपी (गैर लकड़ी के वन उत्पाद), और जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण की निरंतर निगरानी के लिए देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पौड़ी जनपदों के विभिन्न विकासखण्डों में फील्ड सर्वेक्षण कार्य किया गया।
- अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों के 40 से अधिक पवित्र प्राकृतिक स्थलों का सर्वेक्षण कर उपलब्ध जैव विविधता (पादप प्रजातियों, औषधीय पादपों, संकट ग्रस्त प्रजातियों), जल स्रोतों एवं मानवजनित दबाव से सम्बन्धित सूचनाओं को संग्रहित किया गया।
- जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकासखण्ड में स्थित, कम प्रचलित (ज्ञात/अज्ञात) 9 गुफाओं को पर्यावरणीय पर्यटन (Eco-tourism circuit) के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया गया।

25.19.5 एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टीकल्चर

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- 'रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एण्ड जी0आई0एस0

बेस्ड एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टीकल्चर' रिपोर्ट तैयार की गई है।

- विभिन्न जनपदों में कटाई से पूर्व गेहूं, समर राइस, झंगोरा, मंडुवा, धान फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का आंकलन किया गया।

- मंडुवा तथा झंगोरा फसल की सन्दर्भ स्तिथियों के लिए पौड़ी जनपद में ग्राउंड ट्रूथिंग की गई।

- टिहरी जनपद के भिलंगना, चम्बा, देवप्रयाग, जौनपुर तथा जाखणीधार थौलधार, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर एवं कीर्तिनगर विकासखण्डों तथा पौड़ी जनपद के पाँच विकासखण्डों में जायद फसलों के क्षेत्रफल का डिजिटाइजेशन किया गया।

- विशिष्ट फसलों जैसे मंडुवा तथा झंगोरा के प्रति एकड़ अनुमान के लिए शोध किया गया। प्रति एकड़ अनुमान के लिए जून तथा जुलाई महीने का टिहरी तथा पौड़ी जनपदों का सेंटीनल–2 डेटा की प्रोसेसिंग की गई है।

- वर्ष 2010–2018 तक का मेट्रोलॉजिकल डेटा (वर्षा) IMD से क्रय किया गया।

25.19.6 आपदा प्रबंधन

'साइंस ऑफ सर्वाइवल' कार्यक्रम के अंतर्गत 'आपदा प्रबंधन में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर डोईवाला, देहरादून तथा थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय नैनीडांडा में 'आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली की उपयोगिता' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उक्त महाविद्यालय तथा विभिन्न इण्टरमीडिएट कॉलेजों के छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

25.19.7 सेमिनार, वर्कशॉप एवं संगोष्ठी

उक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न कार्य सम्पादित किये गये–

- रिमोट सेंसिंग एवं जी0आई0एस0 के उपयोग से रिस्पना राव वाटरशेड चैनल माइग्रेशन तथा भू–उपयोग/भू–आवरण पर इसके प्रभावों का आंकलन साइनोसिटी इन्डेक्स की सहायता से रन ऑफ मॉडलिंग का जियोस्पेशियल डेटाबेस तैयार किया गया। इसके अंतर्गत एक लघु वृत्त भी तैयार किया गया है जिसमें इन अध्ययनों को भी सम्मिलित किया गया है तथा इसकी एक मैप बुक का भी सृजन किया गया है।

- हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शोध छात्र–छात्राओं के लिए ''सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र'' विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

25.19.8 उत्तराखण्ड स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (यूकेएसडीआई)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार व उत्तराखण्ड शासन द्वारा संयुक्त रूप से चलाये गये उत्तराखण्ड स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर

(यूकेएसडीआई) प्रोग्राम को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र को माह सितम्बर 2019 में सतत तकनीकी क्रियान्वयन हेतु हस्तांतरित किया गया है। यूसैक एसडीआई सिस्टम को तकनीकी रूप से संचालित करते हुए राज्य नियोजन विभाग को उक्त परियोजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन व संचालन में सहयोग प्रदान करेगा। यूसैक का अपना भवन एवं डेटा सेंटर निर्माणाधीन होने के चलते यूकेएसडीआई सर्वर का संचालन यूकॉस्ट से किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जनपदों में गठित जी0आई0एस0 सेल को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपडेट कर प्रशिक्षित किया गया है। जनपद टिहरी व उत्तरकाशी के जी0आई0एस0 सेल में मानवशक्ति चयन हेतु तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की गई। गढ़वाल मण्डल के समस्त जनपदों के जी0आई0एस0 सेल के सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

25.20 यू–कॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)– उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आता है। यूकोस्ट ने अपनी गतिविधियां वर्ष 2005 की अन्तिम तिमाही में शुरू की हालांकि इसे पंजीकरण अधिनियम 1860 के पंजीकरण के तहत नवम्बर, 2002 में पंजीकृत किया गया था। दिसम्बर, 2019 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:–

25.20.1 प्रौद्योगिकी विकास

1. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय (URU) अल्मोड़ा और RI इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनोवेशन, हल्द्वानी के सहयोग से परिषद ने छह तकनीकों का विकास किया है जिन्हें पेटेंट पंजीकरण प्राप्त हो चुका है:–

- ग्राफीन अल्कोहल सेंसर।
- ग्राफीन लिथियम आयन बैटरी।
- रिएक्टर में अनाफलिस बसुआ और लैंटाना कैमारा के साथ संसाधित बहुलक से जैव ईंधन के साथ ग्राफीन का संश्लेषण।
- घर के तापमान को नियत बनाए रखने के लिए ग्राफीन आधारित सौर टाइलें।
- TiO2, ओसिम टेन्यूफ्लोरम (तुलसी) के साथ चावल की भूसी, Al(OH)3 और अजादिरेख्ता इंडिका (नीम) से उपचारित ग्राफीन एयरजेल से निर्मित मल्टी स्टेज वाटर फिल्टर।
- बांस, प्लास्टिक कचरे और ग्राफीन एयरजेल से बना एयर फिल्टर।

2. जल के लिए फील्ड परीक्षण किट का विकास (टर्बिडिटी, पीएच, कठोरता, क्लोराइड, लोहा, नाइट्रेट और अवशिष्ट क्लोरीन, और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट के लिए अर्ध–मात्रात्मक परीक्षण)।

3. हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (HARC) के सहयोग से तकनीकी संसाधन केंद्र (TRC), कलेशवर में पोषक तत्वों से भरपूर पारंपरिक

फसलों से 14 उच्च मूल्यवान उत्पादों का विकास।

4. राज्य के परंपरागत रूप से उगाए गए समृद्ध अनाज द्वारा व्यावसायिक मछली उत्पादन के लिए मछली फीड।

25.20.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना के तहत 04 क्लस्टरों में कुल 04 मिस्ट चैंबर, 08 नेट हाउस और 08 पॉलीहाउस स्थापित किए गए हैं। 15 लाभार्थियों को एपिकल्चर पर प्रशिक्षण परियोजना के तहत 50 लाभार्थियों को दूध प्रसंस्करण और 35 लाभार्थियों को संस्थानों का एक्सपोजर दौरा किया गया है।

NMHS (National Mission on Himalayan Studies)-MOEF&CC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना, 'Enhancing livelihood of Himalayan communities through action research and transforming wild produce into high value products' के तहत, परिषद द्वारा 9 जंगली फलों और नटों से कुल 19 उत्पादों को विकसित किया गया। 56 गांवों की 16 सहकारी समितियों को साथ लाकर कार्य किया गया जिसमें 4674 लाभार्थी शामिल हैं। कुल परियोजना बजट ₹ 2.49 करोड़ था, जबकि परियोजना द्वारा प्राप्त वार्षिक कारोबार लगभग ₹ 21 लाख है जिसे पांच वर्ष में बढ़ाकर ₹ 5 करोड़ करने की योजना है। इस परियोजना के तहत उत्पाद विकास के लिए अनुकूलित तकनीकों और उनके सुरक्षित भंडारण को डिजाइन किया गया तथा आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण मशीनों जैसे कि स्वचालित कन्वेयर सीलर, कोल्ड स्टोरेज, फल और सब्जी निर्जलीकरण, इंकजेट बैच कोडिंग मशीन, नट डिकॉर्टिकेटर, तेल–प्रेस मशीन, फल और सब्जी वॉशिंग मशीन और वैक्यूम पैकेजिंग मशीन की स्थापना तकनीकी संसाधन केंद्र (TRC), कलेशवर में की गई है।

परिषद ने जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोसी–कटारमल, अल्मोड़ा के तकनीकी सहयोग से एक बायो–कम्पोस्टिंग प्रदर्शन इकाई विकसित की है। बायो–कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया को आरएससी देहरादून का दौरा करने आये छात्र समूहों और उनके शिक्षकों तथा यूकॉस्ट के कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को प्रदर्शित किया जाता है।

परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से उत्तरकाशी जिले के नौगांव में एक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला विकसित की है। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों के बीच फल, फूल और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। इसने कार्नेशन, लिलियम और स्ट्रॉबेरी के स्वस्थ और रोग मुक्त जर्मप्लाज्म की स्थापना की है।

उत्तराखंड जल संस्थान (UJS) देहरादून और DAV PG कॉलेज देहरादून के सहयोग से परिषद ने DST (भारत सरकार) के जल प्रौद्योगिकी पहल (WTI)

कार्यक्रम के तहत UJS, देहरादून के परिसर में राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की है। प्रयोगशाला अत्याधुनिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टीडीएस मीटर, टर्बिडिटी मीटर, डिजिटल टाइटेनियम, पीएच मीटर, लेमिनर एयरफ्लो कैबिनेट और इन्क्यूबेटरों जैसे प्रशिक्षण उपकरणों से युक्त है जिसने 1100 से अधिक लाभार्थियों/मानव संसाधन को जल गुणवत्ता परीक्षण के बारे में जागरूक कर उनकी क्षमता निर्माण में योगदान दिया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) एवं विज्ञान और समाज के तहत परिषद् ने प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्रों (TRCs) की स्थापना की है। ईडीपी मिशन प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमिता विकास है, जिसके अंतर्गत छह जिलों में कुल 9 टीआरसी कार्यात्मक हैं और पूर्व–नियुक्त एनजीओ द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। टीआरसी द्वारा 10128 से अधिक लाभार्थियों को बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के साथ तकनीकी सुविधा प्रदान की गई है।

परिषद् द्वारा यूरोपीय रिवर बैंक फिल्ट्रेशन (RBF) प्रौद्योगिकी को सतपुली, श्रीनगर, कर्णप्रयाग और अगस्त्यमुनि में पूर्वी नयार, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के साथ पांच विभिन्न स्थलों पर स्थापित किया गया है। यूकोस्ट प्रदेश की अन्य जगहों पर आरबीएफ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए योजना बना रहा है।

गेट इनोवेटिव सॉल्यूशन के सहयोग से परिषद् ने आंचलिक विज्ञान केंद्र में एक नई इनोवेटिव मैग्नेटिक वेस्ट रिडक्शन मशीन (100 किग्रा क्षमता) स्थापित की है। मशीन किसी भी शक्ति/ईंधन का उपयोग किए बिना स्रोत पर एकत्र किसी भी कार्बनिक अपशिष्ट को नष्ट कर सकती है। यह क्रांतिकारी उत्पाद 350 से 400 डिग्री के तापमान पर कम तापमान पाइरोलिसिस प्रक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है जो चुंबकीय प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होता है, इसका उपयोग गैर–अलग–थलग किए गए अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, विशिष्ट औद्योगिक कचरे के विनाश के लिए किया जा सकता है। विज्ञान केंद्र आने वाले छात्रों या आम जनता को इसका प्रदर्शन प्रदान किया जाता है।

25.20.3 विज्ञान लोकप्रियकरण

परिषद् द्वारा कुल 36 विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगोष्ठी में भाग लेने हेतु कुल 14 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान प्रदान किए हैं।

25.20.4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर)

जागरूकता गतिविधियों के अलावा, पेटेंट इनफार्मेशन सेंटर (पीआईसी) द्वारा आईपीआर विषयों के लिए कई नवाचारियों और शोधकर्ताओं को सुविधा प्रदान की गयी है। पीआईसी ने 13 पेटेंट, 03 कॉपीराइट एवं 08 ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।

25.20.5 साइंस सिटी देहरादून की स्थापना

विज्ञान लोकव्यापीकरण के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना साइंस सिटी देहरादून स्थापना हेतु

प्रेषित प्रस्ताव को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गयी है। 25 एकड़ भूमि में 173 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ अत्याधुनिक संसाधनों और सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। साइंस सिटी में निम्नलिखित संसाधनों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है।:–

- चार थिमेटिक गैलरी (डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का युग अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा)
- Large format film projection unit (तारामंडल के साथ)
- जैव विविधता पर डिजिटल पैनोरमा
- भूकंप एवं अन्य सिमुलेटर
- आउटडोर साइंस पार्क और थीम पार्क/ बायो–डोम/फॉसिल पार्क कन्वेंशन सेंटर, आदि।

इसके अलावा, अल्मोड़ा में उप–क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और चमोली में विज्ञान पार्क विकास के चरण में हैं।

25.20.6 बाह्य वित्त पोषित परियोजना

1–पं. दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड में चयनित चार संकुलों यथा गेंडीखाता, बजीरा, भिगुन (गढ़वाल) और कौसानी (कुमाऊं) के लिए व्यापक विकास योजनाओं के साथ स्थानीय स्तर की विकास योजना तैयार करना है, तथा हिमालय के लोगों के लिए स्थायी आजीविका विकसित करना है। परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वावलंबन एव स्वरोजगार के प्रति प्रेरित किया जा रहा है इस हेतु ग्रामीणों के लिये समय समय पर स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण एवम भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

परियोजना अवधि	– 03 वर्ष (2017–20)
कुल लागत	– ₹ 6,30,54,000.00
अवमुक्त धनराशि	– ₹ 4,20,00,000.00
व्यय धनराशि	– ₹ 1,50,00,000.00

2–वन आधारित आजीविका पर उत्कृष्टता केन्द्र उत्तराखण्ड

यह देश का अपनी तरह का पहला केंद्र है जो वन आधारित उत्पादों और वन संसाधनों पर लोगों की निर्भरता से सम्बंधित मुद्दों पर विस्तृत जानकारी जुटायेगा। इस अध्ययन से उत्पन्न जानकारी राज्य में गैर प्रकोष्ठ वन उपजों के सतत् प्रबन्धन एवं आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में सहायक होगी। यह उत्कृष्टता केन्द्र वनाधारित आजीविका और आय सृजन के अवसरों पर आंकड़े सृजित करने हेतु प्रयासरत है। उत्तराखण्ड में वन आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), निजी संस्थानों और विशेषज्ञों की जानकारी को संसाधन निर्देशिका के रूप में संकलित किया गया है। यह संसाधन निर्देशिका यूकॉस्ट के वेबपेज पर भी अपलोड की गई है।

परियोजना अवधि – 05 वर्ष (2015–20)

कुल लागत – ₹ 2,26,25,750.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 1,41,92,185.00

व्यय धनराशि – ₹ 1,41,92,185.00

3–प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्स एटलस फॉर हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड

परियोजना का मुख्य उद्देश्य, नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए एक उत्कृष्ट डेटा बेस प्रदान करना है, जो विकास प्रक्रिया के लिए एक अमूल्य स्तम्भ साबित होगा। यह परियोजना शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को भी एक स्थायी विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के साथ–साथ एक आधार भी प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने और लोगों के बीच संसाधनों के टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग के लिए जागरूक करना है।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2016–19)

कुल लागत – ₹ 91,27,800.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 84,57,891.00

व्यय धनराशि – ₹ 69,78,551.00

4–''एक्शन रिसर्च द्वारा हिमालय के समुदायों की आजीविका को बढ़ाना तथा वन्य उत्पादकों को उच्च मान वाले उत्पादों व पदार्थों में परिवर्तित करना''

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को हिमालयन समुदायों के फलों एवं बेरीज को उच्च मान वाले उत्पादकों में परिवर्तित करके आजीविका प्राप्त कराना है। वर्तमान परियोजना के अन्तर्गत चमोली एवं रूद्रप्रयाग जिले के करीब 54 गांवों के चार हजार से ज्यादा ग्रामीण परिवार प्रमुख रूप से हिताधिकारी रहें है, जिन्हें इस परियोजना से सीधा लाभ मिला है। करीब चार हजार ग्रामीण परिवार स्पष्ट रूप से लम्बे समय तक वन्य पैदावार द्वारा अपनी आजीविका को आने वाले समय में बेहतर बना पाएगे। इस परियोजना द्वारा मौसमी फलों एवं बेरीज जैसेः खुमानी, आड़ू, पुलम, आंवला, हिंसर, महल, किन्गोड़, घिन्गांरू, भीकल, काफल आदि से अर्ध ठोस उच्च मूल्य वाले करीब 14 नये खाद्य उत्पादों को मार्केट किया गया। परियोजना के तहत सी0एफ0सी0 कालेश्वर केन्द्र में फल संस्करण मशीन एवं आधुनिक तकनीक को स्थापित किया गया है। केन्द्र की करीब 54 महिला सहकारी का कौशल विकास तथा उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया ।

इस परियोजना से महिला सहकारिता को करीब 20 लाख का लाभ अर्जित हुआ है। परियोजना के अन्तर्गत एक हस्तपुस्तिका छपवाई गयी है जिसमें हिमालयन समुदाय के फल एवं बेरीज की अति महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी है साथ ही मानक संचालन के लिए SOP's बनाई गयी है एवं प्रशिक्षण नियमावली भी बनाई गई है।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2016–19)

कुल लागत – ₹ 2,49,96,000.00

अवमुक्त धनराशि — ₹ 2,36,56,040.00

व्यय धनराशि — ₹ 2,29,93,123.79

5—बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र

परिषद द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकार केन्द्र (Patent Information Center) संचालित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा का पंजीकरण करवाने में आम जन को प्रेरित एवं प्रतीकात्मक सहयोग प्रदान करना हैं। पेटेंट इनफार्मेशन सेल, यू—कॉस्ट, देहरादून राज्य की बौद्धिक सम्पदा को विश्व के पटल पर लाने के लिए प्रयासरत है जिसका लाभ राज्य को ही नहीं, वरना इससे सम्बंधित भौगोलिक क्षेत्र, स्थानीय निवासियों को भी हो रहा है।

कुल लागत — ₹ 39,00,400.00 (03 वर्ष)

अवमुक्त धनराशि — ₹ 38,97,112.00

व्यय धनराशि — ₹ 38,97,112.00

उक्त के अतिरिक्त परिषद को वित्तीय वर्ष 2019—20 में निम्नलिखित दो परियोजनाएं की स्वीकृति प्रदान की गयी है —

6—वेस्ट मैनेजमेंट इन देहरादून एण्ड रूद्रप्रयाग—''रियलाइजिंग द ई—वेस्ट टू रिसोर्स पोटेन्शियल''

परियोजना अवधि — 02 वर्ष (2019—21)

कुल लागत — ₹ 3,12,00,000.00

अवमुक्त धनराशि — शून्य

7—स्किल विज्ञान प्रोग्राम

परियोजना अवधि — 03 वर्ष (2019—22)

कुल लागत — ₹ 2,30,67,500.00

अवमुक्त धनराशि — शून्य

25.20.7—जैव विविधता पार्क

जैव विविधता पार्क 7,450 वर्गमीटर के क्षेत्र में परिषद परिसर में स्थापित किया गया है, जिसमें ग्रीन हाउस सुविधा के साथ पैदल मार्ग, सिंचाई प्रणाली, बागवानी और भू—निर्माण शामिल हैं। यह पार्क सतलुज जल विद्युत निगम तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के सौजन्य एवं सहयोग से स्थापित किया गया है। पार्क में 200 प्रजातियों के 700 से अधिक पौधे हैं।

परियोजना अवधि — 02 वर्ष (2016—18)

एस0जे0वी0एन0 द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि — ₹ 49,65,140.00

परिषद द्वारा वहन की गयी धनराशि — ₹ 4,96,514.00

कुल लागत — ₹ 54,61,654.00

अवमुक्त धनराशि — ₹ 54,61,654.00

व्यय धनराशि — ₹ 54,61,654.00

25.21—उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) (Uttarakhand Science Education & Research Centre USERC):— यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने

के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:–

- यूसर्क में स्थापित स्टूडियों में विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा ई–कन्टेन्ट के निर्माण हेतु व्याख्यान आयोजित किये जा रहे है।

- जलगुणवत्ता के परीक्षण हेतु 'Automated IOT based smart Water Quality Assessment System' शोध परियोजना द्वारा Low cost equipments का निर्माण किया गया है।

- 'Science of Revival of Rivers' कार्यक्रम के अन्तर्गत यूसर्क द्वारा 'रिस्पना नदी' एवं 'कोसी' नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु जल गुणवत्ता का अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों हेतु एक प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। साथ ही इस सन्दर्भ में जागरूकता कार्यक्रम भी किये जा रहे है। इस हेतु एन्ड्रॉइड एप्स भी बनाया गया है।

- केन्द्र सरकार के 'डिजिटल इण्डिया' की भावनाओं के अनुरूप यूसर्क द्वारा उत्तराखण्ड के दूरस्थ विद्यालयों तक विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु 'प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा' (Technology Enabled Science Education) का कार्य किया जा रहा है।

- प्रदेश के छात्र–छात्राओं के उचित मार्गदर्शन हेतु यूसर्क द्वारा मेन्टरशिप प्रोग्राम एवं ज्ञानकोष पोर्टल का निर्माण एवं विस्तारण का कार्य प्रगति पर है।

- यूसर्क द्वारा दिव्यांग केन्द्र की स्थापना कर उसके अन्तर्गत दिव्यांगों हेतु प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगों के उत्साहवर्धन एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने हेतु यूसर्क द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय टी–20 दृष्टिबाधित क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया।

- प्रदेश के ग्रामीण भागों तक विज्ञान की पहुंच के लिए 'उत्तराखण्ड ज्ञान–विज्ञान अभियान' के अन्तर्गत विभिन्न वैज्ञानिक व्याख्यानों एवं प्रायोगिक प्रदर्शनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- प्रदेश भर में छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियां, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी, जन जागरण एवं जागरुकता हेतु विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड के माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा से जोड़ने तथा अपने गांव के आस–पास के पर्यावरणीय समस्याओं को समझने तथा उनके प्रति जन–जागरुकता हेतु ''स्मार्ट इको क्लब'' की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद से पाँच–पाँच विद्यालयों (कुल 65 माध्यमिक विद्यालयों) में

स्मार्ट इको क्लबों का गठन किया गया है।

- मृदा गुणवत्ता के परीक्षण हेतु 'Wireless Smart Agriculture Monitoring System' शोध परियोजना द्वारा Low cost equipments के निर्माण शोध कार्य प्रगति पर है।

25.22–उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू.सी.बी. (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB)

उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना प्रदेश में जैवप्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुये तथा इसको प्रोत्साहन देने हेतु की गयी। यह परिषद् उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्त निकाय है और कृषि विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् राज्य में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने के साथ–साथ वास्तविक धरातल पर भी कार्यान्वित है। परिषद् उत्तराखण्ड में जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा कौशल विकास को बढ़ाकर राज्य को विकास के नये शिखरों तक ले जाने के लिये तत्पर है। परिषद् उत्तराखण्ड की भौगोलिक विशेषताओं का उपयोग करके प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने के साथ ही राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को संचालित कर जिनमें मुख्य रूप से पादप ऊतक संवर्धन, आण्विक नैदानिक एवं नैनोटेक्नोलॉजी विधि द्वारा रोगों के पहचान व निदान, जैवसूचनिकी, हाइड्रोपोनिक्स, जलगुणवत्ता, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फसल सुधार एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी के साथ–साथ सगंध तथा औषधीय पौधों के विश्लेषण इत्यादि पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। परिषद् द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

1. परिषद् द्वारा बायोटेक कान्क्लेव–2019 का सफल आयोजन किया गया तथा उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी नीति (2018–23) का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु विमोचन किया गया। कान्क्लेव के दौरान जैवप्रौद्योगिकी से सम्बन्धित देश के विभिन्न 20–30 विशेषज्ञों के साथ उद्योगपतियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

2. परिषद् के पर्वतीय जैवप्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र के माध्यम से प्रदेश हित में विभिन्न आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसे कि पादप ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, बायोएनालिटिकल शोध प्रयोगशाला, मॉलीक्यूलर बायोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला तथा आधुनिक जैवसूचनीकी प्रयोगशालाओं का सफल संचालन किया जा रहा है।

3. परिषद् के प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय अनुदान प्रदान कर जैवप्रौद्योगिकी आधारित शोध व कृषि को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में परिषद् द्वारा जैवप्रौद्योगिकी के नवीन क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है।

4. ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा 12 कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5. आठवां इनवेस्टर्स सम्मेलन, बैंगलूरू में प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ परिषद् के निदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया गया।

6. लघुशोध व कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के 25 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. तीन दिवसीय उज्जवल उत्तराखण्ड प्रर्दशनी में परिषद् द्वारा स्टॉल लगाकर प्रतिभाग किया गया तथा प्रदेश में जैवप्रौद्योगिकी आधारित खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये किसानों व युवाओं का तकनीकी मार्गदर्शन कर उनको जैवप्रौद्योगिकी खेती हेतु प्रोत्साहित किया गया।

8. पृथ्वी दिवस 2019 के अवसर पर मुख्य विषय ''प्रजातियों की रक्षा'' पर सेमिनार के माध्यम से उत्तराखण्ड के पादप जैवविविधता संरक्षित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की विलुप्त होती पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की क्रियाविधि पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 युवा छात्र–छात्रायें लाभान्वित हुये।

9. प्रदेश स्तरीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, पन्तनगर में प्रतिभाग करने आये प्रदेश के 75 चयनित एन.सी.सी. युवा कैडेट्स को जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों से अवगत कराया गया तथा भविष्य में जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा एवं शोध कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

10. पश्चिम बंगाल से भ्रमण पर आये 20 प्रगतिशील किसानों को हाइड्रोपॉनिक (मृदारहित खेती) तथा पादप ऊतक संवर्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर उनको तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया।

11. फ्रांस से आये कृषि स्नातक स्तर के 15 छात्र–छात्राओं के एक दल को उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् के शोध कार्यों एवं गतिविधियों से अवगत कराया गया। मुख्य रूप हाइड्रोपॉनिक मृदारहित खेती, पादप ऊतक संवर्धन, जलगुणवत्ता परीक्षण इत्यादि की जानकारी प्रदान की गयी।

12. जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विद्यालयी स्तर के 200 छात्र–छात्राओं को परिषद् में भ्रमण कराकर जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों से अवगत कराया गया तथा जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिरूचि लेने हेतु प्रेरित किया गया। भ्रमण के दौरान पादप ऊतक संवर्धन, जल गुणवत्ता परीक्षण, नैनोबायोटैक्नोलॉजी व जैवसूचनिकी के बारे में जानकारियां प्रदान की गयी। निम्नलिखित विद्यालयों के छात्र–छात्रायें लाभान्वित हुये हैं

i. सर्राफ पब्लिक स्कूल, खटीमा, ऊधम सिंह नगर।

ii. राजकीय इण्टर कालेज, बरहैनी, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर।

iii. नोजगे पब्लिक स्कूल, खटीमा, ऊधम सिंह नगर।

iv. राजकीय इण्टर कालेज, मोतीनगर, नैनीताल।

13. परिषद् द्वारा फसल स्वास्थ्य प्रबन्धन विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के 30 चयनित युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सैटवस एप्प के माध्यम से फसल स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी गयी तथा फसल के स्वास्थ्य की देख–रेख एवं उसका हारवेस्टिंग से प्रबंधन तक के तरीकों पर प्रकाश डाला गया।

14. पेयजल संदूषण के कारक व स्त्रोत तथा उनके जाँच की नवीन तकनीक विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से 100 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हुये। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण, जल संचय, जल की गुणवत्ता तथा संदूषणों की मात्रा ज्ञात करके नवीन तकनीक को हैण्डस–ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया गया।

15. कीवी तथा यूरोपियन सब्जियों के उत्पादन के लिए जैव–एग्रो तकनीक विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 20 प्रगतिशील किसानों ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान कीवीफल तथा यूरोपियन सब्जियों जैसे कि बेजल, बैलपेपर, ब्रोकली, लैट्स, इत्यादि के कृषिकरण व उनके व्यवसाय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

16. कौशल विकास एवं जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने हेतु परिषद् द्वारा 02 कार्यक्रमों हेतु वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की गयी।

17. उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु धनराशि ₹ 200.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं पर दिसम्बर–2019 तक लगभग ₹ 98.42 लाख व्यय किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक शेष धनराशि ₹ 101.58 लाख व्यय होने का अनुमान है।

अध्याय– 26
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

अ–राजस्व

26.1 सामान्य विवरण– राजस्व अभिलेखों के सरलीकरण के साथ कम्प्यूटरीकरण डिजिटाईजेशन करते हुए अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भूमि पर लगाये गये लगान, भूमि कर एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निकायों की सरकार के प्रति बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमाकर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। कृषि एवं व्यवसायिक भूमि के क्रय विक्रय तथा स्वामित्व के विवाद रहित परिवर्तनी का विधिक धाराओं के अन्तर्गत अभिलेखों में अंकन कर कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से भू–स्वामियों को सुगमता से पहुँच बनाया जाना है साथ ही निष्पक्षपूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है। पर्वतीय जनपदों के अन्तर्गत न्यून क्षेत्रफल के होल्डिंग सहित प्रदेश की समस्त भूमि होल्डिंग के मानचित्रीकरण के कार्य को भी प्राथमिकता दी जाती है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) (शत प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजना अन्तर्गत प्रदेश में संचालित कार्यों की स्थिति का विवरणः–

26.2. पॉयलट जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स का डिजिटाईजेशन–

योजनान्तर्गत प्रदेश में चयनित 02 पॉयलट जनपद यथा पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में कैडस्ट्रल मैप्स के डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, कुल 25057 कैडस्ट्रल मैप्स में से 24982 मैप्स का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डिजिटाईज नक्शों को ग्रामवार मौजाईक कर भू–नक्शा साफ्टवेयर में अपलोड किये जा चुके हैं तथा सभी नक्शों को आर0 ओ0 आर0 से लिंक किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश के 11 जनपदों को डी0आई0 एल0आर0एम0पी0 योजना से जोडे जाने हेतु नवसृजित तहसीलों के आधार पर समस्त भू–अभिलेखों के आधुनिकीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

26.3. पॉयलट जनपदों की तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना–

योजना की गाईडलाईन के अनुरूप प्रदेश की तहसीलों में संचित भू–अभिलेखों के रखरखाव व आम जन के उपयोगार्थ अभिलेखों के वितरण आदि हेतु पायलट जनपद पौडी एवं अल्मोडा के (10–10 तहसील) में आधुनिक तकनीक के रिकार्ड रूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही में आतिथि तक जनपद गढ़वाल की कुल 10 तहसीलों में से 08 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जनपद अल्मोड़ा की कुल 10 तहसीलों में से तहसील रानीखेत, द्वाराहाट, सोमेश्वर एवं भिकियासैंण में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य गतिमान है, तथा अवशेष चयनित समस्त तहसीलों में कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। साथ ही रिकार्ड रूम में संचित समस्त भू–अभिलेखों को

डिजिटाईज करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

26.4. पॉयलट जनपदों की तहसीलों/सब डिविजनों में स्थित भूलेख डाटा सेन्टरों का कम्प्यूटरीकरण–

पॉयलट जनपदों की तहसीलों एवं सब डिविजनों के भूलेख डाटा सेन्टरों का कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य किया जा चुका है।

26.5. सी0एल0आर0 योजना में कम्प्यूटरीकरण से छूटे राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य–

सी.एल. आर. योजना में कम्प्यूटरीकरण से छूटे राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

- **राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंगः–**

राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग हेतु एप्लीकेशन http://rcs.uk.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित करवाया जा रहा है।

26.6.सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यः–

माह नवम्बर 2018 तक की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षण इकाई उधमसिंहनगर द्वारा जनपद उधमसिंहनगर एवं नैनीताल के कुल 20 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेखीय कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। जिसमें से अभी तक 02 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। 08 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। अवशेष 10 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य गतिमान है। सर्वेक्षण इकाई देहरादून द्वारा वर्तमान में जनपद देहरादून में 08 ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी इकाई द्वारा जनपद हरिद्वार के 06 ग्रामों एवं जनपद टिहरी गढवाल के 04 ग्रामों का भी सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

26.7. राज्य में चकबंदीः–

उत्तराखण्ड राज्य में चकबंदी के अन्तर्गत मैदानी जनपदों में चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या 906 के सापेक्ष 429 ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख तहसीलों को भेजे गये हैं तथा 324 ग्रामो को जनविरोध अथवा स्थगन आदेश के कारण तहसील को वापस किये गये हैं। शेष 153 ग्रामों में वर्तमान में चकबंदी का कार्य गतिमान है।

तालिका 26.1:–
उत्तराखण्ड में चकबंदी से सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	जनपद का नाम	चकबंदी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबंदी प्रकिया पूर्ण हो चुकी हो	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबंदी समाप्त/स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5	6
1.	उधमसिहनगर	273	125	100	48
2.	चम्पावत	28	02	26	–
3.	नैनीताल	20	03	15	02
4.	हरिद्वार	585	299	183	103
	योगः–	**906**	**429**	**324**	**153**

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के ग्राम लखौली, औणी, खैरासैण, पंचूर, तंगोली, ग्वील मल्ला एवं ढांगल में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा–4(1)एवं 4(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है तथा ग्राम लखौली, औणी, खैरासैण, पंचूर में चकबंदी समिति का गठन किया गया है।

ब–आपदा प्रबन्धन

सामान्य विवरणः– जलवायु परिवर्तन से संबन्धित घटनाओं तथा आपदा के जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु एक निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System) विकसित कर जोखिमों की निगरानी (Hazard Monitoring) करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से निबटने हेतु पूर्व चेतावनी (Early Warning) आपदा आने से पूर्व में तैयारी, प्रतिवादन व आपदा के उपरान्त सामाजिक तथा पुर्ननिर्माण कार्यों को त्वरित गति से सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है। आपदा के समय बेहतर रिसपॉन्स प्राप्त होने पर भविष्य की आपदा के परिप्रेक्ष्य में पॉलिसी बनाया जाना तथा जनसमुदाय के लिए Incident response system को मजबूत बनाने के लिए रियल टाइम डाटा बेस बनाया जाना प्रमुख है, ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने में सहायक हो सके। इस हेतु सभी विभागों को अपने बजट/आउटकम बजट में आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रावधान किया जायेगा।

वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन द्वारा निम्न कार्य किए गये।

- राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के सहयोग से भूकम्प पूर्व चेतावनी तंत्र ''सचेत'' की स्थापना की गयी है। उक्त के अन्तर्गत राज्य व जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के अलावा देहरादून, हल्द्वानी, एवं काठगोदाम, में 100 साइरनों की व्यवस्था।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के द्वारा जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर एवं टिहरी के सुरकण्डा में डॉप्लर वैदर रडार की स्थापना कार्य प्रारम्भ।
- मौसम से सम्बन्धित पूर्वानुमान बेहतर बनाने के लिये राज्य में 107 ऑटोमैटिक वैदर स्टेशन, 25 सरफेस फील्ड आब्जरवेटरी, 16 स्नोगेज, 28 ऑटोमैटिक रैनगेज की स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) के तकनीकी सहयोग से की गयी है।
- आपदा की स्थिति में संचार साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था तथा जनसमुदाय को जागरूक किये जाने हेतु नवीन पहल के रूप में राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति विकसित की गई है। जिसमें अधिकतम ₹ 10.00 लाख की सहायता राशि दिये जाने के प्रावधान है।
- समस्त जनपदों को आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य हेतु SDRF (आपदा मोचन निधि) मद से कुल ₹ 79.14 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी।
- राज्य के सरकारी भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु Rapid Visual Screening कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अब तक करीब 15,000 भवनों का RVS कराया जा चुका हैं।
- 10 दिवसीय खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर संचालित किया गया है

इसके अन्तर्गत 616 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है।

- भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण हेतु राज्य के 13 जिलों में कुल 820 स्थानीय राज मिस्त्रियों द्वारा 36 प्रदर्शन इकाईयों (Demonstration Units) का निर्माण किया गया है।
- आपदा की स्थिति में त्वरित संचार व्यवस्था हेतु तहसीलवार 180 सेटेलाइट फोन का वितरण किया जा चुका है।
- आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, जन्तु आक्रमण को स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- पिथौरागढ, टिहरी, एवं बागेश्वर के 291 परिवारों के पुर्नवास हेतु ₹ 1,307.08 लाख की धनराशि जारी की गयी है।
- जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत् पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाले की ओर भूस्खलन के उपचार हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करते हुए ₹ 667.95 लाख की धनराशि जारी की गयी है।
- विभिन्न विभागों हेतु मानक प्रचालन विधि (Standard Operation Procedures) एवं विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का विकास वर्तमान में कुछ चिन्हित विभागों यथा–लोक निर्माण, पुलिस, चिकित्सा, जल संस्थान, ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन, कृषि एवं पशुपालन विभाग में उच्चीकृत कर लिया गया है।
- यू0डी0आर0पी0 अतिरिक्त फंड के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के पूर्णागिरी मन्दिर के ढलान उपचार (Slope Treatment) हेतु कुल धनराशि ₹ 9.97 करोड़ स्वीकृत किये गये है।
- समस्त जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी विभाग के अधिकारियों को Incident Response System (IRS) का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- राज्य में उत्तराखण्ड रिवर मार्फोलॉजी इन्फारमेंशन सिस्टम (Uttarakhand River Morphological Information System (URMIS) विकसित किया गया है।
- आपदा की स्थिति में त्वरित व प्रशिक्षित प्रतिवादन हेतु राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) को अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।
- वर्ष 2020 तक राज्य के समस्त महिला मंगल दल व युवक मंगल दलों को खोज बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित का कार्य आरम्भ।
- पर्यटन एवं आपदा के लिए ''मेरी यात्रा'' नाम से एप तैयार किया गया है, जिसमे उत्तराखण्ड में उपलब्ध समस्त सुविधाऍ जैसे होटल, अस्पताल, धर्मशाला एवं सहायता हेतु सूचनाओं को दर्शाया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार, Asian Institute of Technology Thailand तथा विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के सौजन्य से राज्य में Implimentation of Integrated Geospatial Platform, Database जोखिम/आपदा प्रबंधन हेतु एक निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System) को विकसित किया गया।

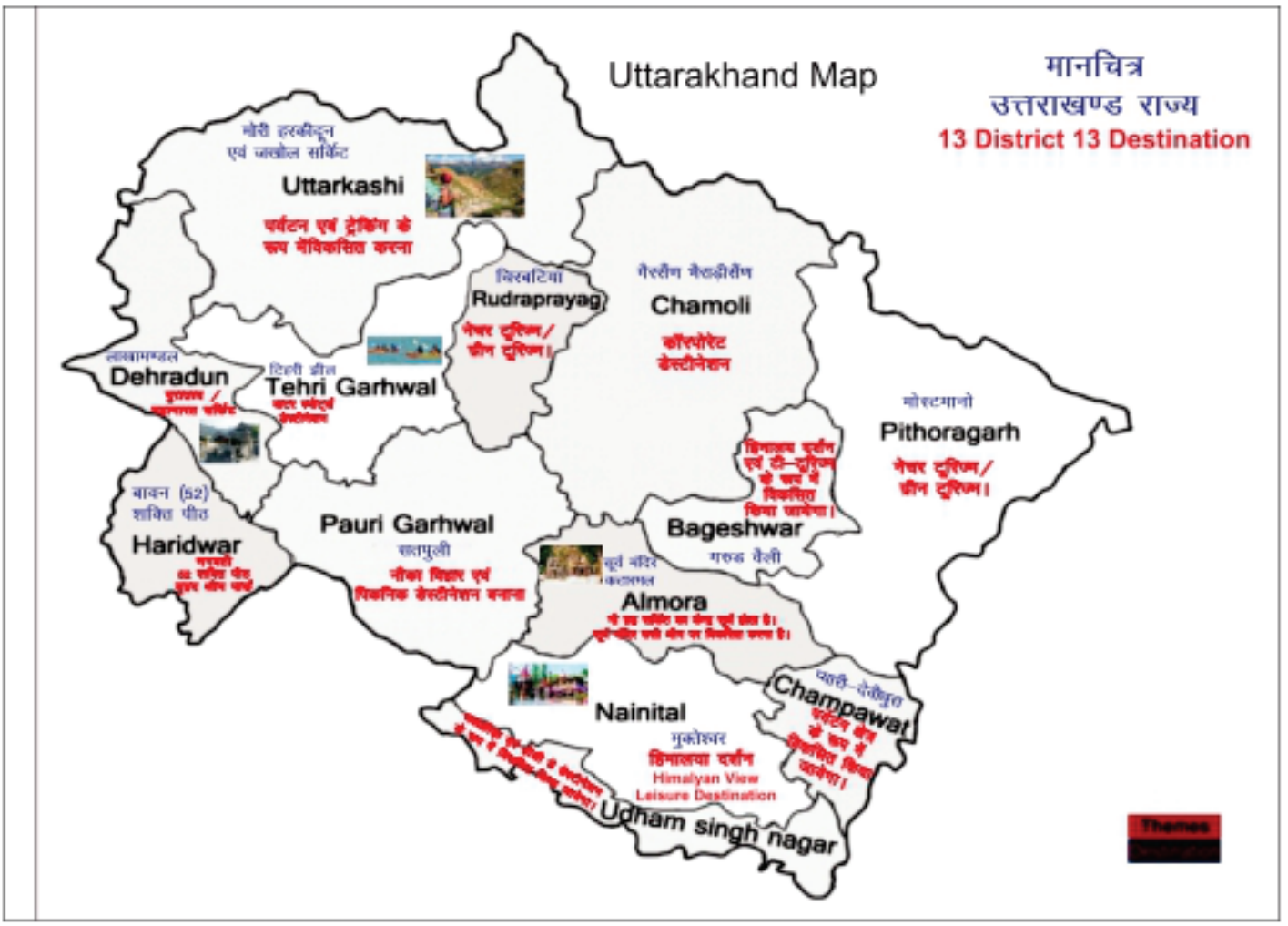

Transforming Uttarakhand

"Sankalp se Siddhi"

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

उत्तराखण्ड सरकार

100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001

दूरभाष / फैक्स: 0135-2712604

ई–मेल: dirdesuk@gmail.com, dir-des-uk@nic.in

वेबसाईट: www.des.uk.gov.in

Printed @ printvisionindia.com